




ज्ञापांक:- ९७०-२३०

दिनांक:- 19.04.2024

प्रतिलिपि:- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला पशु एवं मत्सय पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
(डॉ० के० गणेश कुमार)  
सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना।

ज्ञापांक:- ९७०-२३०

दिनांक:- 19.04.2024

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, भू-राजस्व/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग/सचिव, कृषि विभाग/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/निदेशक पंचायती राज विभाग/ बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ० के० गणेश कुमार)  
सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना।

## बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद

(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

### बिहार राज्य में जैव-विविधता विरासत स्थलों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशक संलेख

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों के सम्बन्ध में एक मॉडल मार्गदर्शिका जारी की गयी है। इस मार्गदर्शिका के प्रावधान जैव विविधता से सम्बंधित स्थलों के परिवेशीय एवं अन्य प्रासंगिक विशिष्टताओं के आलोक में लचीले हैं तथा राज्य स्तर पर इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन का प्रावधान उपलब्ध है। (प्रतिलिपि संलग्न)

बिहार राज्य में जैव विविधता विरासत स्थलों की युक्तिसंगत पहचान एवं उन्हें जैव विविधता अधिनियम, 2002 के सुसंगत प्रावधान धारा-37 (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा घोषित कराने की दिशा में अपेक्षित पहल एवं अनुसरण-कार्यों को सहजता से गति देने हेतु इस राज्य की विशिष्टताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

(1) बिहार राज्य में लगभग 97% भू-भाग वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (Wildlife protected Areas) – यथा वन्यप्राणी आश्रयणी, बाघ आरक्ष, पक्षी आश्रयणी, गांगेय डॉलफीन आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि से बाहर अवस्थित है। साथ ही लगभग 90% भू-भाग प्राकृतिक अवस्था के वनों एवं वानस्पतिक क्षेत्रों से बाहर हैं। ज्ञातव्य है कि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनों में जैव विविधता की उपलब्धता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है एवं उनमें इसके संरक्षण तथा संवर्धन के प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिनियमों के अंतर्गत क्रियान्वित हैं तथा राज्य का वन प्रशासन एवं अन्य शासन व्यवस्था इसके लिए प्रतिबद्ध है।

इस वस्तु स्थिति के आलोक में इस राज्य में जैव विविधता के संरक्षण को व्यापक रूप से प्रभावी करने के लिए जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान में प्राथमिकता निम्नवत दिया जाना वांछित है:-

- I. वनों के बाहर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में
- II. वन्य प्राणी आश्रयणियों के बाहर अवस्थित लगभग 4% प्राकृतिक वन क्षेत्रों में

(2) बिहार राज्य में मानवीय आबादी तथा पशुधन की आबादी का घनत्व देश और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक प्रसंग में काफी ज्यादा है। इसी के साथ मानवीय आबादी की वृद्धि अभी इस राज्य में जारी है जो अगले 2 दशक में स्थिर होगी एवं इसके उपरान्त ही घटेगी। अतएव दूरगामी दृष्टिकोण से तथा भविष्य की पीढ़ियों के हितार्थ जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों के अनुसरण में प्रासंगिक विरासत स्थलों की पहचान, संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं संवर्धन किया जाना वांछित है। इन्हीं अवधारणा से मानव उपयोग वाले भू-भागों-यथा कृषि, बागवानी, मतस्यिकी, शहरी एवं उपनगरीय (Urban, Suburban/ Peri-urban) इलाकों में विभिन्न स्वरूपों के अथवा विभिन्न पहलुओं से जैव-विविधता वाले प्रासंगिक स्थलों (सम्पन्न अथवा अवशिष्ट) की पहचान की जानी चाहिए।

(3) जैव-विविधता विरासत स्थल घोषित किए जाने हेतु सुयोग्य स्थलों की पहचान हेतु उनके जैव-विविधता सम्बंधी महत्व या मूल्यों का प्रेक्षण एवं आकलन स्थानीय परिवेश जो आमतौर पर जिले के

जैव-भौतिक विशिष्टियों (Biophysical features) एवं अन्य सम्बंधित/सुसंगत परिवेशीय तत्वों एवं अवयवों के संदर्भ में ही किया जाना अपेक्षित है। इसे सर्वथा राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर की तुलनात्मक संदर्भ में करने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

(4) ज्ञातव्य है कि जैव-विविधता संरक्षण का दायरा काफी व्यापक है। इसकी प्रासंगिकता अनुवांशिक, प्रजाति-प्रभेद, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी अधिवास एवं पारिस्थितिकी लैंडस्केप स्तरों, क्षेत्रों एवं क्रियातंत्र (genetic, species, species provenances and cultivars, ecosystem habitats and ecological landscape levels, realms and functional systems) की विविधताओं एवं विशेषताओं से जुड़ी है। साथ ही इसमें केवल सहज रूप से दृश्य वनस्पति, जन्तुओं की विविधता के अलावे सूक्ष्म पादप एवं जन्तु तथा उनसे संलग्न जैविक तंत्र (diversity of micro-floral and micro-faunal biomes and associations) की विविधता भी प्रासंगिक हैं। उदाहरणार्थ soil biodiversity भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण अवयव है। इसी के साथ किसी भू-खण्ड के geological, geo-morphological, geographical associations एवं इनके जैविक अवयव भी किन्हीं अतिविशिष्टता वाले स्थल को जैव-विविधता विरासत स्थल के तौर पर चिन्हित और घोषित करने के आधार हो सकते हैं। विलक्षण सांस्कृतिक सम्बन्धों से सहयोजित जैव विविधता के भू-खण्ड या अन्य स्थल भी इस प्रयोजनार्थ विचारण के दायरे में आयेंगे।

(5) जैव-विविधता संरक्षण की नीति एवं कानून की क्रियान्वयन व्यवस्था में सक्रिय समावेशी जन-सहभागी तथा स्थानीय हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रक्खी गयी है। ज्ञातव्य है कि जैव विविधता विरासत स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना का उद्देश्य तथा लक्ष्य तभी सफलीभूत होंगे जब इसमें हितधारकों की पूर्ण सहभागिता होगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्ग दर्शन में भी स्थानीय हितधारकों की सहभागिता एवं उनके हितों का सामंजस्यपूर्ण प्रतिरक्षण एवं प्रबन्धन पर बल दिया गया है। अतएव जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान प्रक्रिया में प्रारम्भ से ही स्थानीय हितधारकों के हितों सम्बन्धी कारकों तथा अभिमत को संवेदनशीलता से ध्यान में रक्खा जाना है। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति के माध्यम से इस पहलु का समावेश एवं सामंजन किया जाना है। जैव विविधता विरासत स्थल के संरक्षण और प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार प्रबन्ध कार्य योजना का सूत्रण किया जाना है। उक्त प्रबन्ध कार्य योजना के सूत्रण प्रक्रिया में ही, जिन मामलों में स्थानीय समुदाय द्वारा उक्त स्थल के विभिन्न स्वरूप में अथवा उनपर निर्भरता की परिस्थितियाँ होंगी, उनके आलोक में व्यावहारिक तथा वैधानिक विकल्पों के अनुसार नियामक प्रावधान स्थानीय हितधारक समुदाय की सम्मति से क्रियान्वित किए जा सकेंगे। निजी भूमि वाले भू-खण्डों या भूखण्ड समूहों के विरासत स्थल के रूप में चिन्हित करने के लिए सम्बन्धित स्वत्वधारियों की स्वप्रेरणा से सम्मति भी अपेक्षित होगी।

(6) उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर राज्य में निम्नांकित स्वरूप एवं प्रकार के स्थलों को "जैव-विविधता विरासत स्थल" के रूप में चिन्हित, घोषित और संरक्षित-प्रबन्धित करना वांछित है:-

- i. झील, बील, चौर, मान इत्यादि के प्राकृतिक जलीय तथा नम-भूमि वाले स्थल;
- ii. नदियों के दियारा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक या अंशतः प्राकृतिक तथा कम मानवीय उपयोग वाले स्थल, नदियों के उदगम स्थल, नदियों के संगम स्थल;

- iii. विशेष किस्म के मतस्य एवं अन्य जलीय जन्तु या जलीय पादप की तुलनात्मक रूप से धनी आबादी वाले खण्ड जो किसी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं हों;
- iv. वन भूमि से बाहर अवस्थित पहाड़ी एवं शैल आच्छादित भू-खण्ड या भू-खण्ड समूह जिनकी विशेष जैविक, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रासंगिकता हो, अथवा भौगोलिक-भूवैज्ञानिक विशेषता हो;
- v. मानव सृजित जलाशय या बड़ा तालाब जिसका कोई हिस्सा जैव-विविधता की किसी विशिष्टि से सम्बद्ध हो;
- vi. वनों के बाहर दीर्घायु एवं विशाल वृक्ष समूह (एकल वृक्षों को "विरासत वृक्ष" के चिन्हीकरण में लिया जा रहा है।);
- vii. विशेष किस्म के कृषि, बागवानी फसल या पशु पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन की पारंपरिक प्रजाति एवं प्रचलन वाले भू-खण्ड या भू-खण्ड समूह (cluster of farms or horticultural plantation with unique provenance)

इनमें उदाहरणार्थ जर्दालू या दीघा आम, शाही लीची, धान फसल का इलाका चयन हेतु विचारणीय हो सकता है - इन मामलों में निजी स्वत्व एवं निजी खेती की भूमि होगी, अतः ऐसे मामलों में उक्त भूस्वामियों के स्वप्नेरण की स्थिति में इनका चयन विचारणीय होगा;

उपर्युक्त सूची के अलावे अन्य कोई विलक्षण आकर्षक आकारिकता तथा दृश्य स्वरूप के स्थल-खण्ड, अथवा इनमें सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान, प्रचलन से सम्बंधित तथ्यों इत्यादि के पहलू भी संज्ञान में लिए जा सकेंगे।

(7) **जैव विविधता विरासत स्थलों के संरक्षण योजना** की उपयोगिता के मुख्य बिन्दु:-

- i. जैव विविधता संरक्षण में अनुवांशिकी तथा प्रजातियों एवं प्रभेदों के संरक्षण की दिशा में जो भी प्रयास किए जाएं, वस्तुतः उनके **अधिवास स्थलों एवं संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र** का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन भी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। **जैव विविधता विरासत स्थलों** के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से ऐसे अधिवास स्थलों के संरक्षण में यथेष्ट योगदान होगा।
- ii. **जैव विविधता विरासत स्थल की संरक्षण योजना** जैव विविधता के संरक्षण को व्यापक एवं विस्तीर्ण आयाम देगी तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे स्थल कालान्तर में जैव विविधता संरक्षण के छोटे-बड़े नाभिक केन्द्रों के रूप में स्थापित हो जायेंगे।
- iii. ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अवसंरचना विकास प्रक्रिया में ऐसे वैधानिक रूप से चिन्हित एवं संरक्षित विरासत स्थलों के प्रतिरक्षण का तथ्यपरक आधार होगा तथा इनका यथाव्यावहारिक प्रतिरक्षण से पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के हित में होगा।
- iv. स्थानीय निकायों के प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया में पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय संरक्षण के अवयवों का समावेश होगा।

v. जैव विविधता विरासत स्थलों को चिन्हित एवं संरक्षित किया जाना स्थानीय जन समुदाय के प्राकृतिक मूल्यों तथा पर्यावरणीय संरक्षण में उत्तरेण एवं सक्रिय सहयोजन का सशक्त व्यवहारिक माध्यम भी होगा।

(8) किसी विचाराधीन स्थल को **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में चयन एवं अधिनियम के अंतर्गत घोषित कराने के प्रस्ताव को निम्नांकित सूचनाओं के साथ एक **आलेख** तैयार किया जाना है:-

- i. **प्रस्तावित स्थल की अवस्थापना**, क्षेत्रफल, इसकी परिधि में अवस्थित भू-भाग एवं भूमि उपयोग का उल्लेख - नक्शों एवं फोटो इत्यादि के साथ वर्णित
- ii. **स्थल की वैधानिक स्थिति**, प्रशासनिक या सरकारी अभिरक्षा एवं उपयोग
- iii. **जैव विविधता एवं संबद्ध पारिस्थिकीय तथा पर्यावरणीय अवयवों एवं पहलुओं का संक्षिप्त उल्लेख**
  - (i) Vegetation, Flora, Fauna, Terrain and topography, Soil & Geology, Hydrology, Climate
  - (ii) वर्तमान स्थिति के सम्बंध में आकलन टिप्पणी, संरक्षण-पुनर्स्थापन की आवश्यकता एवं संभावना
- iv. **स्थानीय समुदाय की निर्भरता का संक्षिप्त वर्णन:-**
  - (i) स्थल के जैविक एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, विदोहन इत्यादि - **Consumptive use aspects**
  - (ii) रास्ता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, उद्यान के रूप में उपयोग, पर्यटन इत्यादि- **Non-consumptive use aspects**
  - (iii) अन्य कोई निर्भरता/उपयोग का विषय
- v. **सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति की अनुशंसा**; किसी विशेष मामले, जिसमें प्रस्तावित विविधता विरासत स्थल का भूखण्ड स्थानीय समुदाय उपयोग से बिल्कुल मुक्त हो तथा सरकारी विभाग/प्रशासन के अभिरक्षा एवं उपयोग में हो तो वैसी परिस्थिति में स्थानीय जैव विविधता प्रबन्ध समिति की अनुशंसा के बदले मात्र सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा वांछित होगी।
- vi. भविष्य के संरक्षण एवं प्रबन्ध हेतु 5 वर्षीय **सांकेतिक प्रबन्धन कार्य योजना (5-Year Indicative Management Action Plan)** - हरेक मामलों में यह अनिवार्य नहीं होगा।
- vii. जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित कर घोषित कराने का प्रस्ताव तैयार करने में बिहार राज्य जैव-विविधता पर्षद के GIS Cell द्वारा नक्शा एवं सम्बन्धित तकनीकी विश्लेषण एवं सूचना इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।

(9) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप जैव विविधता विरासत स्थल से संबंधित प्रस्ताव आलेख प्राप्त होने पर इस पर्षद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अद्यतन संशोधित 2023 तथा एतद सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा हेतु विहित प्रक्रियानुसार आगे की कार्रवाई की जायगी।

  
R.S. [Signature] 17/04/24